

2019/00004

फर्द अहकाम

कालक्षिप्त बनाम ग्यारसी

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

स्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 30/22

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
1-11-18	<p>वकील उषी द्वारा प्रवेत पत्र 152 पीएच के अन्तर्गत नम्बर पर ली गयी। वकील उषी/वकील उपस्थित। वकील उषी ने प्रवेत पत्र 152 पीएच के अन्तर्गत विवेक विषय के अन्तर्गत प्रमाण कालक्षिप्त बनाम ग्यारसी मु.नं. 5/19 निर्णय दिनांक 18.10.18 से निर्णय व डिक्ली लिखते समय लेखक को मूल पत्र खोला जायगी पुत्री विरदा हिस्सा 2276/5691, ग्यारसी लाल, काबुलाल पि. चन्द्राराम हि. 568/5691, शान्ति पालि के लक्ष्य जाति प्रमाण हि. 1139/5691 सा. 78 अंकित होते से रह गया। जिसका अंकन करवाया जाये। वकील उषी को मुता जया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>आ.पत्र व मूल पत्रावली का अन्तर्लोकन एवं तहसीलदार कस्बी से प्राप्त कुंजात का अवलोकन करते के पश्चात वाद इस्ति मुक्ति के सम्बन्ध से तहसीलदार कस्बी से प्राप्त कुंजात प्रमाण के बालस नं. 8 की प्रविष्टि बालस नं. 3 में कर दी गयी है अतः वकील उषी द्वारा प्रवेत पत्र 152 पीएच के अन्तर्गत विषय बनाम तहसीलदार कस्बी को अवेद्य विज्ञा जाता है कि अन्तर्गत इस्ति मुक्ति के सम्बन्ध में अन्तर्गत प्रमाण कालक्षिप्त बनाम ग्यारसी में आप द्वारा भेजे कुंजात प्रमाण के अन्तर्गत पत्र के बालस नं. 3 की प्रविष्टि बालस नं. 8 पर इस प्रकार पढ़ी जावे कि ग्यारसी</p>	

सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

20/19/00004

फर्द अहकाम  
तालिका नं. नाम ग्यारसी

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 5/19

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>पुत्री किरा हि. 2276/5691, ग्यारसीवाल          साबलस पि. चन्द्रात हि. 568/5691          शांति पति वैलसा मीणा हि. 1139/5691          भा. डेह के हिस्से में रहेगी उक्त अंकन          आप आप भोजे जपे वृत्तगत में द्वितीय पेज          पर वालस नं. 8 के स्थान पर वालस नं. 3          में दर्शाया गया है, जिसे वालस नं. 8 पर          ग्यापलप हस्ता के द्वारा 22 के दिनांक 18-10-22          को जारी निर्णय के द्वितीय पेज की 12वीं          लइन में व डिप्टी कमिश्नर 18-10-22 के          द्वितीय पेज की पांचवीं लइन में वाली          पति साबलस हि. 284/5691 के बर्द          पढ़ा जावे। निशेचित डिप्टी पंचा जारी हो          निशेचित निर्णय व डिप्टी पालना के अन्त          गार बस्सी के उबलपहा राजस्व रिफार्ड          में अमल करात देसु मेनी जावे। पत्राली          फेसल थुमा बमेर मूल वाद के हाप          हमपीता हो।</p>

26  
सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर